सं. **MTO/G/11/Pt.VII/549** फरवरी 20, 2013

परिपत्र

केओपीटी के सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है कि हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स (नीचे वर्णित **(i)** से **(iv)** के अंतर्गत इनको छोड़कर) एमएलओज/कंटेनर मालिकों या उनके एजेंटों द्वारा ऑफ-डॉक सीएफएस के लिए खाली किए जाने चाहिए और डॉक से डिलीवर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(i) केंद्रीय कर और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा आरंभ अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) के अंतर्गत सभी आयातक एसीपी स्थिति के समर्थित दस्तावेजों को जमा करने का विषय हैं।
(ii) ऊपर **(i)** में वर्णित उनके अतिरिक्त सभी आयातक जो अंतिम वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011.2012 के दौरान हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स के माध्यम से 1000 टीईयू से अधिक तैयार कर चुके हैं। मापदंड पूरा करने वाले आयातकों की सूची की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद समीक्षा की जाएगी।
ध्यान दें: हालांकि उपरोक्त **(i)** और **(ii)** के अंतर्गत कंटेनरों की डिलीवरी लैंडिंग की तिथि से 7 दिनों के बाद डॉक से अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे कंटेनर इसके बाद ऑफ-डॉक सीएफएस को खाली किए जाएंगे। यद्यपि लैंडिंग की तिथि से 7 दिनों की अपेक्षित समय अवधि के भीतर किसी ऑफ-डॉक सीएफएस के लिए कंटेनरों को खाली करने पर कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

(iii) केओपीटी के कोलकाता डॉक सिस्टम में अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार नेपाल और भूटान के साथ साथ अन्य वैधानिक/सरकारी निकाय के कंटेनरों के संबंध में
(iv) आईसीडी बांड कंटेनर
उपरोक्त दिशा-निर्देश 1 मार्च 2013 से और पर प्रभाव में आएंगे और उस दिन से हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स में पहुंचने वाले जहाजों के लिए लागू होंगे। सभी संबंधितों से उनकी आवश्यक कार्यवाही के लिए उक्त पर ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है।

पूरा मामले की प्रचालन के 3 माह बाद समीक्षा की जाएगी।

(डी. नायक)
प्रबंधक (एसएचएंडसीएच)